संचिका सं0–14/डी0एल0ए0 (प्रतिवेदन) मुआवजा–03/2018–151/रा0,

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अर्जन निदेशालय)

प्रेषक,

वीरेन्द्र कुमार मिश्र, भा0प्र0से0
निदेशक,
भू–अर्जन, बिहार।

सेवा में,

सभी समाहर्त्ता,
बिहार।

पटना, दिनांक:– 15-02-18.

विषयः– **भू–अर्जन परियोजनाओं के अंतर्गत मुआवजा भुगतान के लंबित मामलों से संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में।**

प्रसंगः– **विभागीय पत्रांक–73/रा0, दिनांक–23.01.2018 एवं स्मार सं0–111 दिनांक–2.2.18**

महाशय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र का कृपया संदर्भ लिया जाय। जिसके द्वारा दिनांक–25.01.2018 को RFCTLARR Act-2013, NH Act-1956 एवं रेलवे विशेष अधिनियम, 2008 के अंतर्गत अधिग्रहित भूमि के मुआवजा भुगतान से संबंधित वैसे लंबित मामलें जहाँ मो0–5.00 लाख रू0 से अधिक राशि का मुआवजा भुगतान छः माह से लंबित है, उसकी समीक्षा जिला भू–अर्जन कार्यालय में करते हुए परियोजनावार वांछित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था।

2. उक्त प्रतिवेदन अभी तक मात्र वैशाली/दरभंगा/खगड़िया/पू0चंपारण/बेगूसराय/मुंगेर/रोहतास एवं समस्तीपुर जिले से प्राप्त हुए हैं। प्राप्त प्रतिवेदन के अवलोकन से ज्ञात होता है कि RFCTLARR Act-2013, NH Act-1956 एवं रेलवे विशेष अधिनियम, 2008 के अंतर्गत विभिन्न परियोजनाओं के निमित्त अधिग्रहित भूमि से संबंधित मुआवजा भुगतान के मामलें, जहाँ मुआवजा की राशि मो0–5.00 लाख रू0 से अधिक है, के लंबित रहने का कारण अधिकांश जिलों द्वारा **एल0पी0सी0 निर्गत नहीं होना, रैयतों द्वारा कागजात उपलब्ध नहीं कराया जाना, न्यायालय/प्राधिकार में मामला लंबित रहना, भुगतान हेतु रैयतों का उपस्थित नहीं होना किया गया है।**

3. उक्त प्रतिवेदन के संबंध में यह स्पष्ट करना है कि भू–अर्जन से प्रभावित भू–धारियों के सत्यापन एवं वास्तविक रैयतों की पहचान से संबंधित सभी प्रकार की कार्रवाई पंचाट घोषणा के पूर्व ही कर लिया जाना अपेक्षित है। रैयतों से संबंधित न्यायालय/प्राधिकार में मामला लंबित रहने या रैयतों के भुगतान हेतु उपस्थित नहीं होने की स्थिति में की जानेवाली कार्रवाई के संबंध में अधिनियम में स्पष्ट प्रावधान/समय–समय पर इस संबंध में विभाग द्वारा निर्गत दिशा–निदेश के आलोक में अग्रेतर कार्रवाई अपेक्षित है।

4. विदित हो कि RFCTLARR Act-2013, एन0एच0एक्ट,1956 एवं रेलवे एक्ट,1989 में मुआवजा भुगतान के संबंध में निम्न प्रावधान किये गये है:–

RFCTLARR Act-2013 की धारा–38(2)

"The Collector shall take possession of land after ensuring that full payment of compensation as well as rehabilitation and resettlement entitlements are paid or tendered to the entitled persons within a period of three months for the compensation and a period of six months for the monetary part of rehabilitation and resettlement entitlements listed in the Second Schedule commencing from the date of the award made under section 30."

एन0एच0एक्ट 1956 की धारा–3H(2)

"As soon as may be after the amount has been deposited under sub-section (1), the competent authority shall on behalf of the Central Government pay the amount to the person or persons entitled thereto."

रेलवे एक्ट,1989 की धारा–20H(2)

"As soon as may be after the amount has been deposited under sub-section (1), the competent authority shall on behalf of the Central Government pay the amount to the person or persons entitled thereto."

5. RFCTLARR Act-2013, एन0एच0एक्ट,1956 एवं रेलवे एक्ट,1989 के उपरोक्त प्रावधानों से स्पष्ट है कि भू–अर्जन हेतु विभिन्न परियोजनाओं के अंतर्गत अधिग्रहित भूमि का मुआवजा भुगतान तीन माह के अंदर/यथाशीघ्र किया जाना है।

6. उपरोक्त तथ्यों के आलोक में अनुरोध है कि वैसे लंबित मामलें जहाँ मुआवजा भुगतान की राशि 5.00 लाख रू0 से अधिक है, का भुगतान एक माह के अंदर सुनिश्चित करने हेतु सभी प्रकार की आवश्यक कार्रवाई किया जाना सुनिश्चित की जाय। तदोपरांत लंबित मामलों में मुआवजा भुगतान की राशि को अधिनियम के प्रावधान/समय–समय पर निर्गत विभाग द्वारा दिशा–निदेशों के आलोक में सक्षम न्यायालय/प्राधिकार में जमा करने हेतु नियमानुसार अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए तत्संबंधी प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,

(वीरेन्द्र कुमार मिश्र)
निदेशक,
भू–अर्जन, बिहार।

ज्ञापांक–151/रा0, पटना, दिनांक–15-02-2018

प्रतिलिपिः–सभी प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक,
भू–अर्जन, बिहार।

ज्ञापांक–151/रा0, पटना, दिनांक–15-02-2018

प्रतिलिपिः–सभी जिला भू–अर्जन पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक,
भू अर्जन, बिहार।

ज्ञापांक–151/रा0, पटना, दिनांक–15-02-2018

प्रतिलिपिः–आई0टी0मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को ई–मेल एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

निदेशक,
भू–अर्जन, बिहार।